धारा-59. निधियों का विनियोजन.- नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सहकारी समिति अपनी निधियों को निम्नलिखित में विनियोजित या जमा कर सकती है।

(क) इण्डिया ट्रस्ट ऐक्ट, 1982 (ऐक्ट संख्या 2, 1882) की धारा 20 में निर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में, या

(ख) किसी अन्य सहकारी समिति के अंश या प्रतिभूति में, या

(ग) इस प्रयोजन के लिए निबन्धक द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में, या

(घ) किसी अन्य प्रकार से जो नियत किया जाये।

6[''प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी ऋण समिति के मामले में प्रबन्ध कमेटी अपने अधिशेष एंव अन्य निधियों को समिति के हित में रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय संस्थान में विनियोजित करने के लिए सक्षम होगी।